बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 774 /अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 03/11/2020

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यपरिषद की 29वीं बैठक दिनांक 03.11.2020 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से उक्त तिथि एवं समय में आयोजित बैठक में जिला–बस्तर/जगदलपुर मुख्यालय में निवासरत निम्नलिखित सदस्य उपस्थित होकर बैठक में सम्मिलित हुए तथा शेष सदस्य जो जिला–बस्तर/जगदलपुर मुख्यालय से बाहर/अन्य जिले में निवासरत हैं, वह निर्धारित बैठक तिथि एवं समय अनुसार विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1. प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , — अध्यक्ष
   कुलपति,
   बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
2. श्री आई.पी.तिवारी, प्राचार्य — प्राचार्य – सदस्य
   श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर
3. डॉ. व्ही.के.पाठक, — सचिव
   कुलसचिव,
   बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

4. माननीय श्री रेखचंद जैन, विधायक — विधानसभा सदस्य
   विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86 जगदलपुर
5. श्री राजेश चौहान, — सदस्य
   एम.आई.जी., सी–2338, एम.पी.एच.बी. कालोनी, इंडस्ट्रियल स्टेट, भिलाई (छ.ग.)

6.. डॉ. कमलाकर सिंह, पूर्व कुलपति, सदस्य
भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, निवासी–ई–3/22, नुपुर कुंज, अरेरा कालोनी, भोपाल

7. श्री अनूप रंजन पाण्डेय, सदस्य
एच–15, सेलटैक्स कालोनी, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

8. डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक संकायाध्यक्ष – सदस्य
शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दन्तेवाड़ा

9. डॉ. ए.के. दीक्षित, प्राध्यापक संकायाध्यक्ष – सदस्य
शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम

10. डॉ. एस.सी. मुखर्जी, अधिष्ठाता सदस्य
शहीद गुण्डाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुम्हरावण्ड, जगदलपुर

11. डॉ. रश्मि सिंह, प्राचार्य, प्राचार्य – सदस्य
शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
वर्तमान पदस्थापना शासकीय महर्षि वाल्मीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर

12. डॉ. व्ही. विजयलक्ष्मी मूर्ति, प्राचार्य, प्राचार्य – सदस्य
शासकीय महाविद्यालय, बकावण्ड
वर्तमान पदस्थापना शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर

आमंत्रित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के 28वीं बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –2

दिनांक 22/09/2020 को आयोजित भवन समिति बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –3

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2020 के संबंध में।

विभागीय टीप –

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02 सितंबर, 2008 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना हुई है। राजपत्र अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना तिथि से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रचलित अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत् लागू किये गये । विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रचलित विनियम–91 बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में भी लागू किया गया था। उक्त विनियम के अनुसार स्थापना पश्चात् वर्ष 2009 में भर्ती प्रकिया की गई है, जिसके पश्चात् आज दिनांक तक भर्ती प्रकिया सम्पन्न नहीं करायी गई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 04 सितंबर, 2019 को प्रकाशित छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरगुजा एवं बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में तथा कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की विद्यमान और उद्भूत होने वाली रिक्तियों एवं उक्त क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों आदि के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की विद्यमान और उद्भूत होने वाली रिक्तियों को उक्त क्षेत्र के स्थानीय निवासी से भरे जाने हेतु ''विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड'' का गठन किया गया है। उपरोक्तानुसार भविष्य में बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, बस्तर (जगदलपुर) के माध्यम से किया जायेगा।

उक्त राजपत्र में यह भी उल्लेखित है कि संबंधित विभागों के भर्ती नियमों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान/नियम/उपनियम इन प्रावधानों की सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे। साथ ही सभी संबंधित विभाग अपने भर्ती नियमों में तद्नुसार आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करेंगे।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर एक राजकीय/शासकीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभिन्न पदों में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता/अर्हता आदि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग में समान पदों में भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता आदि के अनुसार होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय की स्थापना के समय प्रचलित विनियम 91 अनुसार स्वीकृत विभिन्न अनेक पदों में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता/अर्हता आदि में आज दिनांक की स्थिति में राज्य शासन द्वारा परिवर्तन/संशोधन किया जा चुका है। विश्वविद्यालय में जिन पदों में पदोन्नति नहीं किया जाना है, उन पदों में सीधी भर्ती से नियुक्त एवं 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान भी प्रदाय किया जाना है, जिसके लिये विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रचलित विनियम 91 के स्थान पर वर्तमान में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति के लिये प्रचलित शासन के नियमों के अनुरूप नवीन विनियम तैयार करने हेतु अनुशंसित किया गया है।

विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं बस्तर विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा समय–समय पदोन्नति हेतु शीघ्र कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परन्तु प्रचलित विनियम 91 वर्तमान में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति के लिये प्रचलित शासन के नियमों के अनुरूप नहीं होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में स्वीकृत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति विनियम तैयार किया जाये। विश्वविद्यालय स्तर पर अधिकारियों की समिति गठित कर बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2020 तैयार किया गया है। उक्त प्रकरण सम्माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय –

छत्तीसगढ़ शासन के नियमों का पालन करते हुए तैयार किये गये नवीन विनियम–91 ''बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2020'' को सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –4

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में संचालित डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर वार्षिक एवं सेमेस्टर समस्त पाठ्यक्रमों (सिलेबस) का मुद्रण कराये जाने हेतु निविदा में स्वीकृत फर्म को मुद्रणादेश जारी किया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति तथा मुद्रण उपरांत निविदा में स्वीकृत दर अनुसार प्राप्त देयकों का नियमानुसार भुगतान करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय, अकादमिक विभाग के प्रस्तावित विवरण अनुसार केन्द्रीय अध्ययन मंडल तथा अध्ययन मंडलों द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय में संचालित डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर वार्षिक एवं सेमेस्टर अधिकांश पाठ्यक्रमों में संशोधन/परिवर्तन किया गया है। उक्त संशोधित/परिवर्तित पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में नैक मूल्यांकन कराये जाने तथा गोपनीय/परीक्षा एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निविदा में स्वीकृत फर्म Smriti Galaxy India, Agrasen Chowk, Jagdalpur से उक्त मुद्रण कार्य हेतु GST सहित राशि रू. 997920 =00 (नौ लाख, संतानवे हजार, नौ सौ बीस) का प्राप्त प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के मुद्रणादेश क्रमांक/ 1660/भण्डार/ब.वि.वि/2020 जगदलपुर, दिनांक 27/08/2020 के द्वारा मुद्रणादेश जारी किया गया है। जिसमें अंतिम मुद्रण से पूर्व कुल लागत की जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने हेतु फर्म को लिखा गया है। कार्य की सफलतम समाप्ति के बाद उक्त स्वीकृत लागत के भीतर देयक प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –5

कुलपति आवास परिसर में ग्रीन ग्रास (गॉर्डन घास) लगाये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप –

कुलपति आवास में गरिमा के अनुरूप ग्रीन ग्रास (गॉर्डन घास) लगाये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/1707/भण्डार/ब.वि.वि./2020–21 जगदलपुर, दिनांक 03.09.2020 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय नगर निगम, जगदलपुर को स्थल अवलोकन कराते हुए उक्त कार्य का प्राक्कलन प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के संबंध में कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर का पत्र क्रमांक/2171/नपानि/लो.नि.वि./2020, जगदलपुर, दिनांक 08/09/2020 के द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि रू. 3.08 (तीन लाख, आठ हजार) का प्राक्कलन प्रेषित किया गया है। यह कार्य संपादित करने पर निविदा करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा विज्ञापन प्रकाशन में राशि व्यय नहीं करना पडेगा। यदि नगर निगम के प्राक्कलन विवरण, राशि तथा कार्य अनुमोदित हो तो नगर निगम, जगदलपुर से कार्य करवाया जा सकता है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –6

सत्र 2019–20 में ऑनलाईन प्रवेश/नामांकन/वार्षिक,सेमेस्टर,पूरक परीक्षा तथा पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना हेतु रिजल्ट प्रोसेसिंग एवं अन्य परीक्षा/गोपनीय संबंधी कार्यों के लिए अनुबंधित फर्म MICS भोपाल को वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020–21 में उक्त सभी कार्यों के निष्पादन पूर्व में अनुबंधित शर्तों एवं स्वीकृत दर के अनुसार कार्य करने हेतु एक वर्ष की वृद्धि किये जाने संबंधी कार्यादेश जारी किया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति प्रदाय करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

विभागीय टीप –

विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 2019–20 हेतु Pre and Post Examination Processing work (Online) Based का निविदा क्रमांक 5168/परीक्षा–गोपनीय/भंडार/ब.वि.वि./2019 दिनांक 26.06.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर के माध्यम से निविदा प्रकाशित करवाया गया था। विज्ञापन के अनुसार अंतिम तिथि 30.07.2019 दोपहर 3.00 बजे तक 6 फर्मो द्वारा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा प्रेषित किया गया था। उक्त फर्मो के निविदाओं को दिनांक 30.07.2019 को सायं 4.00 बजे क्रय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें MICS Bhopal का दर न्यूनतम होने के कारण कुलसचिव बस्तर विश्वविद्यालय एवं MICS भोपाल के मध्य दिनांक 19/08/2019 के अनुबंधित शर्तों एवं स्वीकृत दर के अनुसार परीक्षा/गोपनीय (ऑनलाईन प्रवेश/नामांकन/वार्षिक/पूरक/सेमेस्टर/पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना/रिजल्ट प्रोसेसिंग एवं अन्य संबंधित कार्य) करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 5746 /परीक्षा–गोपनीय/दिनांक 22.08.2019 द्वारा कार्यादेश जारी किया गया था।

वर्तमान में कोविड– 19 के संक्रमण के कारण विगत सत्र 2019–20 के कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया है। राज्य शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार सत्र 2019–20 की सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 21.09.2020 से आयोजित की जा रही है। परीक्षा आयोजन के साथ ही उपरोक्त परीक्षाओं के Result Processing का कार्य भी त्वरित गति से कराया जाना है, जिससे परीक्षार्थियों को शीघ्रता से अंकसूची प्रदाय किया जा सके।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की कंडिका–4 के अनुसार MICS Bhopal का परीक्षा/गोपनीय कार्य संतोषजनक होने तथा नवीन सत्र 2020–21 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष में ऑनलाईन प्रवेश एवं पंजीयन कराने हेतु राज्य शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन एवं समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त फर्म से सत्र 2020–21 का परीक्षा/गोपनीय कार्य करने के लिए सहमति दिये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र क्र.1209/गोपनीय/2020 जगदलपुर दिनांक 18.05.2020 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। MICS Bhopal के पत्र दिनांक 26.05.2020 द्वारा स्वीकृत दर में 20: (प्रतिशत) वृद्धि करने हेतु निवेदन किया गया तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 1338/परीक्षा/गोपनीय/2020 जगदलपुर दिनांक 12.06.2020 द्वारा उक्त फर्म के निवेदन को अस्वीकार करते हुए पुनः स्वीकृत दर पर कार्य करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। उक्त फर्म के पत्र दिनांक 15.06. 2020 द्वारा सत्र 2019–20 के लिए स्वीकृत दर अनुसार परीक्षा/गोपनीय कार्य संपादित करने के लिए सहमति पत्र प्रदान की गई। उक्त सहमति पत्र के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिये गये अनुमोदन पश्चात आगामी सत्र 2020–21 के लिए कार्य संपादन हेतु MICS भोपाल को विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 1345। दिनांक 15/06/2020 के माध्यम से कार्यादेश जारी किया गया है, तथा संबंधित फर्म को कार्य की पूर्णरूपेण सफल समाप्ति पश्चात भुगतान की कार्यवाही अनुबंधित शर्तो के अनुसार की जावेगी।

निर्णय –

सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

विषय क्रमांक –7

विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निर्मित आवासीय भवनों के मरम्मत एवं रंगरोगण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग,जगदलपुर के प्राक्कलन अनुसार कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीप –

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यपरिषद की 25वीं बैठक दिनांक 30.12.2019के कार्यवाही विवरण क्रमांक/7113/अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 04.01.2020 के अनुसार अध्यक्ष की अनुमति से पूरक एजेण्डा के विषय क्रमांक 4 एवं कार्यपरिषद की 26वीं बैठक दिनांक 13.03.2020 के कार्यवाही विवरण क्रमांक/206/अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 17.03.2020 के अनुसार विषय क्रमांक 7 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित कुलपति निवास, कुलसचिव निवास, अधिकारी निवास एवं कर्मचारी निवास का मरम्मत/रंगरोगण लोक निर्माण विभाग,जगदलपुर के प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

कार्यपरिषद की पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णय के परिपालन में विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों के मरम्मत कार्य हेतु राशि रू. 21.63 लाख एवं रंगरोगण संबंधी कार्य हेतु राशि रू. 17.47 लाख का प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्राक्कलन अनुसार क्वाटर नम्बर एफ–2 में पेयजल आपूर्ति एवं शौचालय में मरम्मत कार्य , कांक्रीटीकरण एवं अन्य कार्य हेतु क्रमशः राशि रू. 0.90 लाख, रू. 0.47 लाख एवं रू. 0.79 लाख रूपये का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है।

वित्त विभाग से प्राप्त की गई जानकारी एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट प्रावधानानुसार स्वीकृत 50.00 लाख के विरूद्ध उपरोक्तानुसार मरम्मत, रंगरोगण एवं अन्य कार्य लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर के प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये जाने हेतु कार्यादेश जारी करने तथा प्रस्तावित व्यय राशि रू. 41.26 लाख रूपये का परीक्षा मद से भुगतान करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

प्रशासकीय स्वीकृति दी गई एवं लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर को कार्यादेश जारी करते हुए विश्वविद्यालय आय के स्त्रोंतों के माध्यम से बजट प्रावधान अनुसार भुगतान करने हेतु स्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –8

बस्तर विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक मिनी बस (50 सीटर) तथा परीक्षा/गोपनीय कार्य हेतु बोलेरो के स्थान पर एक बोलेरो पिकअप एवं कुलपति हेतु एक इनोवा क्रिस्टा वाहन छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में विश्वविद्यालय के बजट प्रावधान अनुसार परीक्षा मद से नवीन वाहन क्रय करने की स्वीकृति प्रदाय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :—

कार्यपरिषद के संलग्न कार्यवाही विवरण क्रमांक 1593/अका./ब.वि.वि./2018 जगदलपुर, दिनांक 25.06.2018 के अनुसार कार्यपरिषद की 20वीं बैठक दिनांक 19.06.2018 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के विषय क्रमांक 09 में बस्तर विश्वविद्यालय के 19वीं कार्यपरिषद की बैठक के विषय क्रमांक —6 के निर्णयानुसार बस्तर विश्वविद्यालय हेतु तीन नवीन वाहन (बोलेरो, अनुमानित लागत राशि रू. 8.00 लाख, Innova Crysta अनुमानित लागत 15.00 लाख एवं 50 सीटर मिनी बस अनुमानित लागत 20.00 लाख) क्रय करने की अनुमति दी गई थी। उक्त तीनों नवीन वाहनों को परीक्षा मद से क्रय करने की स्वीकृति दी गई थी, तथा प्रथमतः शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु पुनः स्मरण कराने का सुझाव दिया गया। भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए Gem के माध्यम से नियमानुसार क्रय प्रक्रिया प्रारंभ कर पुनः अनुमति के लिए शासन से पत्राचार कर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर विश्वविद्यालय की आवश्यकता को दर्शाते हुए अनुमति की प्रत्याशा में क्रय करने संबंधी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

उक्त अनुमोदन अनुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1239/वाहन/ब.वि.वि/2018—19 जगदलपुर, दिनांक 23.05.2020 के द्वारा सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर को उक्त तीनों वाहन का परीक्षा मद से क्रय करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने के लिए स्मरण पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त पत्र के परिपालन में अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/160/62/व्हीआईपी/2019/38—2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.05.2020 प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के परीक्षा मद से वाहन क्रय करने के लिए शासन से प्रशासकीय स्वीकृति हेतु नियम, प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय अपने स्तर पर परीक्षा मद की राशि से व्यय हेतु उपलब्ध नियम के संदर्भ में परीक्षण कर उचित निर्णय ले सकता है।

विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बस्तर विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं के शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक मिनी बस (50सीटर) तथा परीक्षा/गोपनीय कार्य हेतु बोलेरो के स्थान पर एक बोलेरो पिकअप एवं माननीय कुलपति महोदय हेतु एक इनोवा क्रिस्टा वाहन भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार क्रय किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में 28वीं कार्यपरिषद की बैठक में "परीक्षा मद से किये जाने वाले व्यय से संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आगामी कार्यपरिषद में प्रस्ताव पुनः रखा जाये। यदि नियम नहीं है तो प्रथमतः नियमावली बनाये। तत्पश्चात् क्रय संबंधी कार्यवाही किया जाये" निर्णय लिया गया है।

28वीं कार्यपरिषद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अवगत हो कि बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर छत्तीसगढ़ के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06/03/2012 में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विषय क्रमांक –1 में परीक्षा मद से वाहन क्रय बाबत विषय रखा गया था। जिसके निर्णय में – माननीय सदस्यों द्वारा परीक्षा मद से एक बोलेरो वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई साथ ही मान. सदस्यों द्वारा DGS&D Rate पर ही वाहन क्रय करने के निर्देश दिये गये।

विश्वविद्यालय में समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को वित्त समिति द्वारा विभिन्न मदों में व्यय करने के लिए अनुशंसा किया जाता है तथा कार्यपरिषद के अनुमोदन पश्चात प्रावधानित बजट अनुसार विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है। विश्वविद्यालय के परीक्षा मद से वाहन क्रय करने की अनुमति पूर्व में कार्यपरिषद द्वारा दी गई थी। उक्त निर्णय अनुसार ही कार्यपरिषद की बैठक में बजट प्रावधान अनुसार परीक्षा मद से वाहन क्रय करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। चूंकि परीक्षा मद में ही नवीन वाहन क्रय का बजट प्रावधान किया गया है तथा कार्यपरिषद से अनुमोदित बजट नियम की भॉति होता है। अतः परीक्षा मद से नये वाहन क्रय करने संबंधित नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। बजट प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय के परीक्षा मद से नये वाहन क्रय किया जा सकता है।

निर्णय –

एक मिनी बस (50 सीटर), एक बोलेरो पिकअप एवं कुलपति हेतु एक इनोवा क्रिस्टा वाहन विश्वविद्यालय के आय के स्त्रोत के माध्यम से बजट प्रावधान के अनुसार क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विषय क्रमांक –9

कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार सत्र 2019–20 की शेष परीक्षाओं के सितम्बर 2020 के आयोजन हेतु 45000 छात्रों को उनके (E-mail/Login ID) माध्यम से प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने हेतु कुल लागत राशि रू. 4,77,900 हो सकती है। उक्त प्रकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक —10

बस्तर विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण संघ से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु पद में 03 वर्ष की सेवा अवधि की योग्यता स्वीकृत करने के संबंध में।

विभागीय टीप —

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02 सितंबर, 2008 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना हुई है। राजपत्र अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना तिथि से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रचलित अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत् लागू किये गये । विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रचलित विनियम—91 बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में भी लागू किया गया था। वर्तमान में प्रचलित विनियम 91 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति के लिये प्रचलित शासन के नियमों के अनुरूप नहीं होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

अवगत हो कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.10.2011 में अनुमोदित नवीन संशोधित विनियम—91 को बस्तर विश्वविद्यालय में आज दिनांक तक अंगीकृत नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं बस्तर विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा समय—समय पदोन्नति हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.10.2011 में अनुमोदित नवीन संशोधित विनियम—91 के अनुसार वर्तमान पद में तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद योग्य मानते हुए पदोन्नति की कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.10.2011 में अनुमोदित नवीन संशोधित विनियम—91 की अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 47 में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि "छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय—समय पर किये गये परिवर्तन एवं योग्यता को विनियम में स्वमेव समाहित माना जावेगा"।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर एक राजकीय/शासकीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभिन्न पदों में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता/अर्हता आदि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग में समान पदों में भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता आदि के अनुसार होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय की स्थापना के समय प्रचलित विनियम 91 अनुसार स्वीकृत विभिन्न अनेक पदों में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता/अर्हता आदि में आज दिनांक की स्थिति में राज्य शासन द्वारा परिवर्तन/संशोधन किया जा चुका है। विश्वविद्यालय में जिन पदों में पदोन्नति नहीं किया जाना है, उन पदों में सीधी भर्ती से नियुक्त एवं 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान भी प्रदाय किया जाना है, जिसके लिये विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रचलित विनियम 91 के स्थान पर वर्तमान में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति के लिये प्रचलित शासन के नियमों के अनुरूप नवीन विनियम—91 "बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2020" तैयार किया गया है। जिसके अनुसार भविष्य में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त प्रकरण सम्माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय —

नवीन विनियम—91 के अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन के नियमों का पालन करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही किया जाय।

विषय कमांक –11

डाटा एण्ट्री आपरेटर से सहायक प्रोगामर के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना वर्ष 2008 पश्चात् प्रथम नियुक्ति प्रक्रिया अंतर्गत स्वीकृत डाटा एण्ट्री आपरेटर के पदों के विरूद्ध दो कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2009 में की गई है। प्रथम नियुक्ति तिथि से वर्तमान में कार्यरत नियमित डाटा एण्ट्री आपरेटर श्री प्यारे लाल यादव एवं श्री राम मरकाम ने समय–समय पर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुये डाटा एण्ट्री आपरेटर को अन्य समकक्ष पदों के समान उच्चतर पदों पर पदोन्नति का लाभ दिये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। पुनः दिनांक 05.10.2020 को आवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय में रिक्त सहायक प्रोगामर के एक पद को अन्य विभागों की तरह पदोन्नति से पद पूर्ति किया जा सकता है। इस हेतु प्रमाण के रूप में आवेदन के साथ संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत डाटा एण्ट्री आपरेटरों को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पश्चात् सहायक प्रोगामर के पद पर पदोन्नत किया गया है।

कृपया अवगत हों कि बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना के समय से प्रचलित विश्वविद्यालय विनियम–91 में डाटा एण्ट्री आपरेटरों को सहायक प्रोगामर के पद पर पदोन्नत किये जाने का प्रावधान नहीं है। शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोगामर का एक पद स्वीकृत है। विश्वविद्यालय में 10 पदों पर सीधी भर्ती हेतु शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमति प्राप्त होने पश्चात् विज्ञापन दिनांक 19.09.2018 को प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन में सहायक प्रोगामर के एक पद को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु विज्ञापित किया गया है। उक्त विज्ञापन अनुसार भर्ती प्रक्रिया आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हो सका है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 04 सितंबर, 2019 को प्रकाशित छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरगुजा एवं बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में तथा कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की विद्यमान और उद्‌भूत होने वाली रिक्तियों एवं उक्त क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों आदि के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की विद्यमान और उद्‌भूत होने वाली रिक्तियों को उक्त क्षेत्र के स्थानीय निवासी से भरे जाने हेतु ''विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड'' का गठन किया गया है। अर्थात भविष्य में बस्तर संभाग अन्तर्गत स्थित बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के लिए तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की विद्यमान और उद्‌भूत होने वाली रिक्तियों को उक्त क्षेत्र के स्थानीय निवासी से भरे जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नवीन भर्ती नियम तैयार किया जाना अनिवार्य है और नवीन भर्ती नियमों के अनुसार ही उपरोक्तानुसार विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा।

चूंकि दिनांक 19.09.2018 के विज्ञापन में उल्लेखित सहायक प्रोग्रामर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है और शासन के उक्त राजपत्र जो सीधी भर्ती हेतु परीक्षा के आयोजन से पूर्व प्रकाशित हो चुकी थी। उसके परिपालन में सहायक प्रोग्रामर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित/समाप्त करते हुए डाटा एण्ट्री आपरेटर को सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु राज्य शासन के अन्य विभागों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के अनुसार इस विश्वविद्यालय के भर्ती/पदोन्नति नियम/विनियम में प्रावधान किया जा सकता है।

निर्णय –

प्रस्ताव अमान्य किया जाय।

विषय कमांक –12

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के धरमपुरा परिसर में प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन एवं कालीपुर में नवनिर्मित भवनों में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर परिसर के धरमपुरा परिसर में प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन, कुलपति एवं कुलसचिव निवास तथा कालीपुर परिसर में नवनिर्मित अकादमिक भवनों, जो शीघ्र ही पूर्ण होने की स्थिति में है, की सुरक्षा हेतु शासन/पुलिस में पंजीकृत सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था किया जाना है। विश्वविद्यालय में 02 नियमित चौकीदार कार्यरत हैं, जो प्रशासनिक कार्यालय में दिन एवं रात्रि में ड्यूटी करते हैं। बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के पृथक–पृथक परिसर एवं प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन, कुलपति एवं कुलसचिव निवास एवं कार्यालयीन संपत्ति की सतत् सुरक्षा व्यवस्था पंजीकृत सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से कराये जाने हेतु निविदा जारी की अनुमति हेतु प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखा जा सकता है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

विषय कमांक –13

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल रिचार्ज प्रतिपूर्ति प्रदाय करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

कार्यपरिषद की 26वीं बैठक दिनांक 13.03.2020 में श्री सी.एल. टंडन, सहायक कुलसचिव को मोबाईल रिचार्ज प्रतिपूर्ति प्रदाय करने के संबंध में शासन के नियम नहीं होने का हवाला देते हुये उनके आवेदन एवं प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया था, जबकि पूर्व में कार्यपरिषद की 22वीं बैठक दिनांक 25.10.2018 के विषय क्रमांक–28 में निर्णय लिया गया है कि छ.ग. शासन, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 37/2009 दिनांक 01 दिसबंर, 2009 एवं वित्त निर्देश 20/2014, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में पदस्थ कुलपति, कुलसचिव, उप–कुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी को मोबाईल प्रतिपूर्ति भत्ता प्रदाय करने की स्वीकृति दी गई है। अतः कार्यपरिषद की 22वीं बैठक दिनांक 25.10.2018 के विषय क्रमांक–28 के निर्णयानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल रिचार्ज प्रतिपूर्ति प्रदाय किया जा सकता है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। शासन के नियमों के अनुसार परीक्षण कर भुगतान किया जाय।

विषय कमांक –14

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना वर्ष 2008 में हुई है। विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत समस्त गैर–शैक्षणिक पदों में नियमित भर्ती नहीं होने के कारण कार्य संपादन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध कलेक्टर दर/दैनिक वेतन पर श्रमिकों की नियुक्ति कर कार्य कराया जा रहा है। श्री दिलीप वासनीकर, तत्कालीन कुलपति एवं सभागायुक्त द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी अभिलेख मांगा गया था। कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुये श्री ए.आर. चौरे, तत्कालीन सहायक कुलसचिव के टीप दिनांक 31.05.2018 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान कुलसचिव एवं कुलपति महोदय के अनुमोदन अनुसार प्रत्येक 89 दिवस के पश्चात एक दिवस का ब्रेक (अंतराल) देकर उनके कार्यो का आंकलन कर, गुण एवं दोष का मूल्यांकन कर पुनः आगामी 89 दिवस के लिये उनकी सेवा वृद्धि कर कार्य कराया जा रहा है।

कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय में एवं श्रमपदाधिकारी, जिला–बस्तर, जगदलपुर एवं अन्य कायालयों में ज्ञापन देते हुये प्रत्येक 89 दिवस के पश्चात एक दिवस का ब्रेक (अंतराल) देकर पुनः आगामी 89 दिवस के लिये उनकी सेवा वृद्धि किये जाने के प्रकिया को नियम विरूद्ध बताया गया है। यह भी लेख किया गया वर्तमान में कार्यालय कलेक्टर, जिला–बस्तर, जगदलपुर एवं अन्य शासकीय कार्यालयों/ विभागों में कार्य संपादन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध कलेक्टर दर/दैनिक वेतन पर श्रमिकों की नियुक्ति कर कार्य कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को प्रत्येक 89 दिवस के पश्चात एक दिवस का ब्रेक (अंतराल) देकर पुनः आगामी 89 दिवस के लिये उनकी सेवा वृद्धि किये जाने के स्थान पर कलेक्टर दर/दैनिक वेतन पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों से कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन/श्रम विभाग के कोई नियम/निर्देश यदि हो तो उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, बस्तर संभाग, कलेक्टर जिला–बस्तर, जगदलपुर एवं श्रम पदाधिकारी जिला–बस्तर, जगदलपुर को भी पत्र लिखा गया परन्तु उक्त संबंध में आज पर्यन्त तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुये, विगत कई वर्षो से विश्वविद्यालय में उनके द्वारा किये गये कार्य और उनके अनुभव को देखते हुये, कार्यो का आंकलन कर, गुण एवं दोष का मूल्यांकन कर श्रमिकों के हित में प्रत्येक 89 दिवस के पश्चात एक दिवस का ब्रेक (अंतराल) देकर पुनः आगामी 89 दिवस के लिये उनकी सेवा वृद्धि किये जाने के स्थान पर विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध कलेक्टर दर/दैनिक वेतन पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की तिथि से रखे जाने के संबंध प्रकरण आगामी कार्यपरिषद में रखा जा सकता है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

विषय कमांक —15

बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित पेड'—पौद्यो की मवेशियों से सुरक्षा हेतु केन्द्रीय जेल, जगदलपुर से 100 नग ट्री गॉर्ड का निर्माण करवाया गया है। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा क्रयादेश क्रमांक / 1113 / भण्डार / ब.वि.वि. / 2020 जगदलपुर दिनांक 18 / 03 / 2020 केन्द्रीय जेल, जगदलपुर को प्रेषित किया गया था, सामग्री की लागत राशि रू. 1,44500 =00 (एक लाख, चवालीस हजार, पांच सौ) मात्र है। अतः उक्त विषय की कार्योत्तर स्वीकृति तथा देयक भुगतान हेतु विषय प्रस्तुत है।

विभागीय टिप :—

विश्वविद्यालय परिसर में लगाये गये पेड' —पौद्यों को मवेशियों से सुरक्षा हेतु केन्द्रीय जेल जगदलपुर से प्राप्त मूल्य कथन क्रमांक / 107 / अद्योग / 2019 / जगदलपुर, दिनांक 13 / 07 / 2019 के तारतम्य में केन्द्रीय जेल जगदलपुर को 100 नग ट्री गॉर्ड का क्रयादेश क्रमांक / 1113 / भण्डार / ब.वि.वि. / 2020 जगदलपुर दिनांक 18 / 03 / 2020 द्वारा दिया गया था। समस्त ट्री गॉर्ड विश्वविद्यालय में प्राप्त हो गये हैं। इस संबंध में केन्द्रीय जेल जगदलपुर का देयक क्रमांक 49, बुक नम्बर 46, दिनांक 29 / 09 / 2020 राशि रू. 1,44500 =00 (एक लाख, चवालीस हजार, पांच सौ) मात्र का भुगतान किया जा सकता है।

निर्णय —

सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक —16

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई पूरक एजेण्डा।

विषय क्रमांक —1

बस्तर विश्वविद्यालय के अकादमिक तथा प्रशासनिक भवन के विभिन्न विभागों के समुचित संचालन, सुव्यवस्थित शैक्षणिक कार्य हेतु निम्नलिखित सामग्रियों को क्रय किया जाना प्रस्तावित है :—

Sl	Particulars	Nos.	Approx. Cost @	Approx.Cost
1	Desk Top [all in one]	10	40,000.00	4,00,000.00
2	Laptop	10	50,000.00	5,00,000.00
3	Photocopier Machine [Multi Function]	4	3,00,000.00	12,00,000.00
4	Printer [One Side/Duplex/Color/All in One]	10	10,000.00	1,00,000.00
5	External Hard Disk	5	6,000.00	30,000.00
6	CCTV	10	8,000.00	80,000.00
7	Mobile Stand	30	300	9,000.00
8	Smart Board [Class Room]	2	2,00,000.00	4,00,000.00
9	Web Camera	10	2,000.00	20,000.00
10	Head Phone	30	1,000.00	30,000.00
11	LCD Projector	4	60,000.00	2,40,000.00
12	Camera	2	25,500.00	51,000.00
13	UPS	20	10,000.00	2,00,000.00
14	Server	1	5,00,000.00	5,00,000.00
15	Operating System Windows 10 [Multi Users]	1	1,00,000.00	1,00,000.00
16	Adobe [Multi Users]	1	1,00,000.00	1,00,000.00
17	MS office 2016 [Multi Users]	1	1,00,000.00	1,00,000.00
Total Cost Approximately				**40,60,000.00**

उक्त सामग्रियों की अनुमानित लागत रू. 40,60000 =00 (चालीस लाख, साठ हजार) है। उपर्युक्त सामग्रियों को नियमानुसार क्रय की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित है।

विभागीय टीप :–

वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस (कोविड –19) के संभावित संक्रमण से सुरक्षा हेतु विश्वविद्यालय की अधिकांश बैठकें तथा छात्रहित में परीक्षा संबंधी कार्य, प्रवेश संबंधी कार्य, प्रायोगिक तथा शैक्षणिक कार्य ऑनलाईन सुविधाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। भविष्य में NAAC का आयोजन भी करवाया जाना है। इस हेतु नवीनतम संस्करण के उक्त सामग्रियों को सामग्रियों की आवश्यकता के अनुरूप, बजट उपलब्धता तथा लागत के अनुसार भावपत्रों / CSIDC/निविदा / GeM के द्वारा क्रय किया जायेगा। इस हेतु कार्य परिषद से अनुमति अपेक्षित है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति दिया गया।

विषय क्रमांक –2

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा नियुक्त पैनल अधिवक्ता की फीस (सभी व्यय सहित) निर्धारित करने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के आदेश क्रमांक / 353 / ब.वि.वि. / सा.प्रशा. / 2020 जगदलपुर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर से न्यायालयीन प्रकरणों पर विश्वविद्यालय का पक्ष रखने, प्रकरण पर पैरवी करने, जवाबदावा प्रस्तुत करने आदि न्यायालयीन कार्य हेतु श्री सुदीप अग्रवाल,उप–महाधिवक्ता, बिलासपुर एवं श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता, बिलासपुर को पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के पत्र क्रमांक / 1263 / सा.प्रशा. / ब.वि.वि. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 14. 08.2018 द्वारा पूर्व में डॉ. तृप्ति आरजारिया प्रकरण के संबंध में श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता बिलासपुर को पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है और उक्त आदेश के तारतम्य में समय–समय पर न्यायालयीन प्रकरणों पर विधिक सलाह लेने, विश्वविद्यालय का पक्ष रखने, प्रकरण पर पैरवी करने, जवाबदावा प्रस्तुत करने आदि न्यायालयीन कार्य हेतु श्री नीरज चौबे को विश्वविद्यालय द्वारा मौखिक रूप से आदेशित किया जाता रहा है। उपरोक्तानुसार नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं को प्रत्येक न्यायालयीन प्रकरण पर दी जाने वाली फीस (सभी व्यय सहित) रूपये 15000 / – (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकरण पर विधिक सलाह लेने पर संबंधित पैनल अधिवक्ता को फीस (सभी व्यय सहित) रूपये 5000 / – (पांच हजार रूपये मात्र) का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय –

उक्त प्रकरण का परीक्षण करते हुए आगामी कार्यपरिषद में प्रकरण रखने का निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों दिये जाने वाले मानदेय का परीक्षण करते हुए प्रस्ताव आगामी कार्यपरिषद में प्रकरण रखने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक –3

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/766/अका./ब.वि.वि./2020/ जगदलपुर, दिनांक 02.11.2020 के द्वारा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक–1 जगदलपुर को कुलपति भवन के भू–तल, प्रथम तल (अन्दर एवं बाहर), भवन के चारों ओर स्थित अहाता, गेट एवं कार गैरेज का रंगाई–पोताई कार्यों का प्राक्कलन प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर से प्राक्कलन प्राप्त होने पर प्राक्कलन अनुसार रंगाई–पोताई कार्य कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –4

दिनांक 12.03.2020 को आयोजित विद्यापरिषद बैठक के विषय क्रमांक–3 एवं दिनांक 13.03.2020 को आयोजित कार्यपरिषद की 26वीं बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/432/अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 04.07.2020 के द्वारा डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक, मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला को महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने संबंधी पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के परिपालन में डॉ. तिर्की द्वारा दिनांक दिनांक 24.10.2020 को पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव को सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग आदि को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

उक्त बिन्दुओं के चर्चा/निर्णयों के उपरांत श्री रेखचंद जैन, माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में Diploma in Journalism एवं श्री अनूप रंजन पाण्डेय, सम्माननीय सदस्य द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में Diploma in Tribal arts प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया, जिसे कार्यपरिषद के बैठक में उपस्थित/सम्मिलित अन्य सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त किया गया। प्राप्त सुझाव पर निर्णय लिया गया कि उपरोक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर आगामी विद्यापरिषद में प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाकर आगामी कार्यपरिषद की बैठक में निर्णय लिया जायेगा।

(प्रोफेसर डॉ. एस.के.सिंह)	(डॉ. व्ही.के. पाठक) 3/11/2020
कुलपति	कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)